

न्यायालय तहसीलदार, चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी

:::

बृजेश कुमार (R.T.S.)

मिसल नं.

:::

25/2017

सरकार

बनाम

रुबेक अली पुत्र उमर अली खां जाति क्यामखानी निवासी झांझोत

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 13.10.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल रुबेक अली पुत्र उमर अली खां जाति क्यामखानी निवासी झांझोत द्वारा ग्राम झांझोत स्थित भूमि ख.नं. 589/387 कुल रकबा 35.60 हैक्टे किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.02 हैक्टे. पर बाड डोल लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने लिखित जबाब पेश किया कि मेरे द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा लिया गया है।

निर्णय हेतु पत्रावली का अवलोकन किया गया। भूमि की किस्म गै. मु. जोहड़ है जो माननीय उच्च न्यायालय की रीट सं. 1536/2003 अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान सरकार वगैरह के निर्णय से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिस पर अतिक्रमी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुए गैर सायल को उक्त विवादित रकबे पर अतिचारी घोषित किया जाता है एवं बेदखली आदेश दिया जाता है तथा आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान राशि 8 रु. पैनैल्टी आरोपित की जाती हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी करवाई जावें। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


बृजेश कुमार
तहसीलदार चिड़ावा